इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 मार्च 2026—फाल्गुन 18, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2026

क्र. 2511—36—इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 मार्च 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०२६

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२६

[दिनांक ७ मार्च, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ मार्च, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२६ है.

वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिए राज्य की संचित निधि में से रुपये १६,२८७,३२,३०,०८५ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये उन्नीस हजार दो सौ सतासी करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार पचासी होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.				
		राजस्व	०	**१८,१०,६१,००,०००**	१८,१०,६१,००,०००
००१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
		पूंजी	२,५०,००,०००	०	२,५०,००,०००
००३.	गृह				
		राजस्व	४००	०	४००
		पूंजी	२१,६५,००,३००	०	२१,६५,००,३००
००७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	१३,८८,०२,२६,७८५	०	१३,८८,०२,२६,७८५

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय				
		राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
०१०.	वन				
		राजस्व	१००	**१,००,००,०००**	१,००,००,१००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.				
		राजस्व	१२,५०,००,००,०००	०	१२,५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		पूंजी	२६,३०,००,००,०००	०	२६,३०,००,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	१००	०	१००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	६,१५,००,००,०००	०	६,१५,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
		पूंजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	१८,६७,००,००,०००	०	१८,६७,००,००,०००
		पूंजी	३,७०,००,००,०००	०	३,७०,००,००,०००
०२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य				
		पूंजी	३,६६,००,००,०००	**१३,३७,००,००,०००**	१७,०३,००,००,०००
०२५.	खनिज साधन				
		राजस्व	०	**१,४०,३८,००,०००**	१,४०,३८,००,०००
		पूंजी	३,२०,८४,००,०००	०	३,२०,८४,००,०००
०२६.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	२६,५६,००,०००	०	२६,५६,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		राजस्व	२,१३,००,००,०००	०	२,१३,००,००,०००
०३७.	पर्यटन				
		राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०४०.	पंचायत				
		राजस्व	६,८०,४३,००,०००	०	६,८०,४३,००,०००
		पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	७,२०,००,०२,०००	०	७,२०,००,०२,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	४६,६०,३६,००,०००	**३६,६४,००,०००**	४७,००,००,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	१००	०	१००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	३००	०	३००
	योग	**राजस्व** :	६६,८२,०४,२६,७८५	**१६,५१,६६,००,०००**	८६,३४,०३,२६,७८५
		पूंजी :	८६,७६,६५,००,३००	**१३,७६,६४,००,०००**	१,०३,५३,२६,००,३००
		वृहद् योग :	१,५६,५८,६६,३०,०८५	**३३,२८,६३,००,०००**	१,६२,८७,३२,३०,०८५

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2026

क्र. 2511–36–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2026

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2026

[Received the assent of the Governor on the 7th March, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th March, 2026.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Finiancial Year 2025-2026.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2026. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sums of Rs. Ninteen Thousand Two Hundred Eighty Seven Crore Thirty Two Lakh Thirty Thousand Eighty Five towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the financial year 2025-2026 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of Rs. 19,287,32,30,085 from and out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2025-2026.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and Purposes		(3) Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
-	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.				
		Revenue	**0**	**18,10,61,00,000**	18,10,61,00,000
001.	General Administration				
		Revenue	1,00,00,00,000	**0**	1,00,00,00,000
		Capital	2,50,00,000	**0**	2,50,00,000
003.	Home				
		Revenue	400	**0**	400
		Capital	21,95,00,300	**0**	21,95,00,300

(1)		(2)		(3)	
			Rs.	**Rs.**	Rs.
007.	Commercial Tax				
		Revenue	13,88,02,26,785	**0**	13,88,02,26,785
008.	Expenditure On Land Revenue, District Administration And Disaster Relief.				
		Revenue	1,00,00,00,000	**0**	1,00,00,00,000
010.	Forest				
		Revenue	100	**1,00,00,000**	1,00,00,100
011.	Industrial Policy And Investment Promotion.				
		Revenue	12,50,00,00,000	**0**	12,50,00,00,000
012.	Energy				
		Capital	26,30,00,00,000	**0**	26,30,00,00,000
013.	Farmers Welfare And Agricultural Development				
		Revenue	100	**0**	100
018.	Labour				
		Revenue	6,15,00,00,000	**0**	6,15,00,00,000
020.	Public Health Engineering				
		Revenue	12,00,00,000	**0**	12,00,00,000
		Capital	3,00,00,00,000	**0**	3,00,00,00,000
022.	Urban Developement and Housing.				
		Revenue	18,67,00,00,000	**0**	18,67,00,00,000
		Capital	3,70,00,00,000	**0**	3,70,00,00,000
023.	Water Resources				
		Capital	3,00,00,00,000	**0**	3,00,00,00,000
024.	Public Works				
		Capital	3,66,00,00,000	**13,37,00,00,000**	17,03,00,00,000
025.	Mineral Resources				
		Revenue	0	**1,40,38,00,000**	1,40,38,00,000
		Capital	3,20,84,00,000	**0**	3,20,84,00,000
029.	Law and Legislative Affairs				
		Revenue	26,59,00,000	**0**	26,59,00,000

(1)		(2)		(3)	
			Rs.	**Rs.**	Rs.
035.	Micro, Small And Medium Enterprises.	Revenue	2,13,00,00,000	**0**	2,13,00,00,000
037.	Tourism	Revenue	10,00,00,000	**0**	10,00,00,000
040.	Panchayar	Revenue	6,80,43,00,000	**0**	6,80,43,00,000
		Capital	5,00,00,000	**0**	5,00,00,000
047.	Technical Education, Skill Development And Employment.	Revenue	7,20,00,02,000	**0**	7,20,00,02,000
048.	Narmada Valley Development	Capital	46,60,36,00,000	**39,64,00,000**	47,00,00,00,000
050.	Horticulture And Food Processing.	Revenue	100	**0**	100
054.	Backward Classes Welfare	Revenue	300	**0**	300
	Total ..	**Revenue**	69,82,04,29,785	**19,51,99,00,000**	89,34,03,29,785
		Capital	89,76,65,00,300	**13,76,64,00,000**	1,03,53,29,00,300
	Grand Total ..		1,59,58,69,30,085	**33,28,63,00,000**	1,92,87,32,30,085

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.